बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १७ दिसम्बर, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—६, १२, ९, एवं १३ ।	१-१४
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—६३, १८४, से १८९ तक १९१ से १९४ तक, १९६ से २०० तक, २०४, २०६ से २०९ तक, २१६ से २२० तक, २२२ से २३० तक, २३४; २३५, २३८, २४०, २४२ से २४९ तक, २५२, २५३, २५७, २५८, २६२, २६३, २६५, २६६,	१५-८१
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या द-२, द-९, त-१, त-५, एवं त-८ ।	८१-८४
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—परिशिष्ट	८५-९६
दैनिक निबंध	९७-९९

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके संशोधन नहीं प्राप्त हुए हैं ।

श्री विद्याकर कवि—भागलपुर जिलान्तर्गत मथुरापुर-बुद्धुचक पथ में पक्कीकरण का शेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। केवल सरफेस ड्रेसिंग का कार्य बच जायेगा जिसे १९७६-७७ में वर्षांत के पूर्व सम्पन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क का निर्माण।

२२९। श्री रामवचन पासवान—क्या मंत्री, ग्राम्य अभि० संगठन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला परामर्शदातृ समिति दिनांक २४-५-७५, २२-११-७५ और दिनांक २३-८-७५ की अपनी बैठकों में शिवसागर थानान्तर्गत ग्राम सोनहर की सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है;

(२) क्या यह बात सही है कि दिनांक २२-११-७५ की अपनी बैठक में जिला विकास समिति लिखित उत्तर द्वारा स्वीकार कर चुकी है कि ग्राम सोनहर न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण सड़क को बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) सोनहर ग्राम पथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार हेतु नई सड़कों की सूची में विचाराधीन है। लेकिन वार्षिक योजना में पर्याप्त निधि उपबंध न होने के कारण तत्काल कोई भी नई सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत करना संभव नहीं हो रहा है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में सोनहर ग्रामीण पथ को निर्माण हेतु लेना तत्काल संभव नहीं है।

सड़क का निर्माण।

२३०। श्री रामवचन पासवान—क्या मंत्री, ग्राम्य अभि० संगठन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर थाना के शिवसागर स्टेशन से ग्राम बैरला, चमराहा, तौरनी-तौरनी, चन्दनपुरा पिपरी और कौनार तक की सड़कों को बनाने के लिए जिला विकास परामर्शदातृ समिति दिनांक २४-५-७५ एवं दिनांक २२-११-७५ को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारीत कर चुकी है,

(२) क्या यह बात सही है कि दिनांक २२-११-७५ को जिला विकास समिति की बैठक में जिला विकास पदाधिकारी ने बताया कि कार्यपालक अभियन्ता, अग्रिम योजना, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, आरा ने प्राक्कलन तैयार कर पत्र संख्या ८५, दिनांक २०-१-७५ तथा पत्रांक ३०५, दिनांक १-३-७५ के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, पटना को भेज दिया है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को बनाने के लिए एक लाख सोलह हजार दो सौ सोलह रुपये का प्राक्कलन है और यह सड़क न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत आता है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) सड़क को कार्यरूप में निर्माण के लिए १,१६,२०० रु० का व्यय स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा आँका गया है। यह सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के निर्धारित शर्त्तों को पूरा नहीं करती है। इसलिए इसे उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जाने वाली नई सड़कों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

खण्ड ३ के उत्तर के संदर्भ में उक्त सड़क के निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

रोड का पक्कीकरण।

२३४। श्री रामचन्द्र पासवान—क्या मंत्री, ग्राम्य अभि० संगठन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत बखरी प्रखंड के पहसारा भाया-सीसौनी बगरस रोड का सर्वेक्षण हो गया है;